



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-191 राँची, मंगलवार, 25 फाल्गुन, 1942 (श०)
16 मार्च, 2021 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

10 मार्च, 2021

एस०ओ०- 24- जापांक:- 02@श्रमा 0 का0 बा 0 श्र0 (नियम- संशो0)-01/2018, श्र0नि0 श्र0नि0&360 -- बिहार बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 1995 का संशोधन करने के लिए बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986(1986 का 61) की धारा-18 की उपधारा(1) की अपेक्षानुसार, कतिपय प्रारूप नियम पर श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार अधिसूचना संख्या-1354 दिनांक -10-07-2018 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से कोई आक्षेप एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुई।

अतः झारखण्ड सरकार बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा -18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन)संशोधन नियमावली, 2018 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. बिहार बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 1995 जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है के नियम (1) के उपनियम(1) में "बिहार बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 1995 " शब्दों को " झारखण्ड बाल एवं कुमार श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 2018 शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. मूल नियमों के नियम 2 में.....

- (i) खण्ड (क) और खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात :-
- (क) “अधिनियम” से बाल और कुमार श्रम अधिनियम (प्रतिषेध और विनियमन), 1986 (61 का अभिप्रेत है);
- (ख) “समिति” से अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के अधीन गठित तकनीकी सलाहकार समिति अभिप्रेत है;
- (ii) खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-
- (घक) “ निधि” से अधिनियम की धारा-14 (ख) की उपधारा (1) के अधीन गठित “ बाल और कुमार पुनर्वास निधि” अभिप्रेत है;
- (घख) “ निरीक्षक” से धारा-17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है;
- (घग) “ नगरपालिका” से संविधान के अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित स्वः सरकार की कोई संस्था अभिप्रेत है;
- (iii) खण्ड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
- (ङक) “ पंचायत” से संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित पंचायत अभिप्रेत है;;
- (iv) खण्ड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
- (ज) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो उनमें परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है ।

4. मूल नियमों के नियम 2 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

‘2क. अधिनियम के उल्लंघन में बाल और कुमार के नियोजन के प्रतिषेध के संबंध में जागरूकता-राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों और किशोरों को नियोजित न किया जाए या उन्हें किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनुज्ञात न किया जाए समुचित उपायों के माध्यम से, -

- (क) लोक और पारंपरिक माध्यम तथा जनसम्पर्क के माध्यम का उपयोग करके लोक जागरूकता अभियानों का प्रबंध करेगी, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया है ताकि साधारण पब्लिक, जिसके अंतर्गत बालकों और कुमारों, जिन्हें अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया हो, के नियोक्ता है, को अधिनियम के उपबंधों के विषय में जागरूक किया जाए जिससे कि नियोक्ताओं या अन्य व्यक्तियों को बालकों और कुमारों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय प्रक्रिया में नियोजित करने से हतोत्साहित किया जा सके;

- (ख) उपक्रमों या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों या कुमारों के नियोजन कि घटनाओं की, राज्य सरकारद्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए संचार के आसानी से पहुँचे जा सकने वाले साधनों और विज्ञापनों का संवर्धन;
- (ग) संभव परिमाण तक अधिनियम, इन नियमों और उनसे संबंधित सूचना का रेल कोचों, रेलवे स्टेशनों, मुख्य बस स्टेशनों, टाल प्लाजाम, पत्तनों और पत्तन प्राधिकारणों, विमानपत्तनों तथा अन्य लोक स्थानों, जिसके अंतर्गत शॉपिंग सेंटर, मार्केट, सिनेमा हॉल, होटल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, आवासीय कल्याण संगम कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, शैक्षिक संस्थाएं, न्यायालय परिसर तथा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सभी प्राधिकारियों के कार्यालय है, में प्रदर्शन,
- (घ) समुचित विधि के माध्यम से विद्यालय शिक्षा में शिक्षण सामाग्री और पाठ्यक्रम में संवर्धन, और
- (ङ) प्रशिक्षण को समाविष्ट करने और अधिनियम के उपबंधों पर सामाग्री के प्रति संवेदनशील बनाने तथा उसके प्रति विभिन्न पणधारियों के उत्तरदायित्व, राज्य श्रम सेवा, पुलिस, न्यायिक और सिविल सेवा अकादमियों, अध्यापक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का संवर्धन तथा अन्य सुसंगत पणधारियों, जिसके अंतर्गत पंचायत के सदस्य चिकित्सक और सरकार के संबन्धित कार्मिक है, के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रमों का प्रबंध करना।
2. ख बालक का शिक्षा को प्रभावित किए बिना कुटुंब की सहायता करना - (1) धारा-3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक किसी भी रीति में अपनी विद्यालय शिक्षा को प्रभावित किए बिना,-
- (क) अपने कुटुंब के उपक्रम में इस शर्त के अधीन रहते हुए सहायता कर सकेगा कि ऐसी सहायता,-
- (i) अधिनियम क अनुसूची के भाग क एवं ख में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय व्यवसाय या प्रक्रिया में नहीं होगी;
- (ii) में विनिर्माण, उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा श्रृंखला के किसी स्तर पर कोई कार्य या व्यवसाय या प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होगी, जो बालक या उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम के लिए पारिश्रमिक प्रदान करती हो;
- (iii) में उसके कुटुंब या कुटुंब उपक्रम की सहायता करने के लिए वहाँ अनुज्ञात किया जाएगा, जहाँ कुटुंब अधिभोगी है;
- (iv) में वह विद्यालय समय और 7 बजे सांय और 8 बजे प्रातः के बीच कोई नहीं करेगा;
- (v) में वह सहायता के ऐसे कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो बालक की शिक्षा के अधिकार या विद्यालय में उसकी उपस्थिति के साथ हस्तक्षेप करती हो या उसमें बाधा डालती हो या जो प्रतिकूल रूप से उसकी शिक्षा को प्रभावित करती हो, जिसके अन्तर्गत ऐसे कार्यकलाप हैं, जिन्हें सम्पूर्ण शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है जैसे गृह कार्य या अन्य अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ हैं, जो उसे विद्यालय में सौंपी गई हैं;
- (vi) में बिना विश्राम के सतत रूप से किसी कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो उसे थका दे और उसे उसके स्वास्थ्य और मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए विश्राम अनुज्ञात किया जाएगा तथा कोई

बालक एक दिन में विश्राम की अवधि को सम्मिलित न करते हुए तीन घंटे से ज्यादा के लिए सहायता नहीं करेगा;

(vii) मैं किसी बालक का किसी वयस्क या कुमार के स्थान पर उसके कुटुंब के उपक्रम की सहायता के लिए रखा जाना सम्मिलित नहीं है; और

(viii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में नहीं होगी,

(ख) अपने कुटुंब की मदद या सहायता ऐसी रीति में करना, जो किसी व्यवसाय, संकर्म, पेशे, विनिर्माण या कारबार या किसी संदाय या बालक को फायदे या किसी अन्य व्यक्ति की मदद के लिए, जो बालक पर नियंत्रण रखता है, के लिए है तथा जो बालक की वृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास के लिए अवरोधकारी नहीं है।

स्पष्टीकरण 1.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, केवल-

(क) बालक का सगा भाई और बहन,

(ख) बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन, और

(ग) बालक के माता-पिता का सगा भाई और बहन, को बालक के कुटुंब में सम्मिलित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.(1)- स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभतः इस संबंध में कोई संदेह कि व्यक्ति सगा भाई या बहन है, को यथास्थिति, संबन्धित नगरपालिका या पंचायत द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति की वंशावली या समुचित सरकार के संबन्धित प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधिक दस्तवेज की जांच करके दूर किया जा सकेगा।

(2) जहाँ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा कोई बालक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक को बिना किसी संसूचना के लगातार तीस दिन के अनुपस्थित रहता है, तो प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक के लिए ऐसी अनुपस्थिति की संसूचना नियम 17 ग के उपनियम (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट संबंधित नोडल अधिकारी को देगा।

2. ग बालक का कलाकार के रूप में कार्य करना-(1) धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) किसी बालक को एक दिन में पाँच घंटे से ज्यादा कार्य करने के लिए और बिना किसी विश्राम के तीन घंटों के अनधिक के लिए कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा,

(ख) किसी श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम या किसी वाणिज्यिक समारोह, जिसमें बालक की भागीदारी अंतर्बर्तित है, का निर्माता बालक की सहभागिता को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसमें उस कार्यक्रम को किया जाना है, अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ही शामिल करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व प्रारूप 'ई' में एक वचनबंध तथा बालक सहभागियों, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक की सहमति, प्रोडक्शन या समारोह से व्यक्ति का नाम, जो बालक की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी है की सूची प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी

फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग इस डिस्कलेमर को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाएगी कि यदि किसी बालक को शूटिंग में नियोजित किया गया है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शूटिंग की समस्त प्रक्रिया के दौरान बालक का दुरुपयोग, अनदेखी या उत्पीड़न नहीं हो, के लिए सभी उपाय किए गए हैं;

- (ग) खण्ड ख में निर्दिष्ट वचनबद्ध 6 मास के लिए विधिमान्य होगा और उनमें ऐसे प्रयोजन के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा संरक्षण नीतियों के अनुसार बालक की शिक्षा, सुरक्षा तथा बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए उपबंधों का स्पष्ट कथन होगा, जिसके अंतर्गत-
- (i) बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं को सुनिश्चय;
 - (ii) बालक के लिए समयबद्ध पोषक आहार;
 - (iii) दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित, स्वच्छ आश्रय; और
 - (iv) बालकों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त सभी लागू विधियों का अनुपालन, जिसके अंतर्गत उनका शिक्षा, देखरेख और संरक्षण तथा यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए अधिकार हैं;
- (घ) बालक की शिक्षा के लिए समुचित सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालय में पाठों की निरंतरता बनी रहे और किसी बालक को 27 दिन से अधिक के लगातार कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा,
- (ङ) समारोह या कार्यक्रम के लिए अधिकतम 5 बालकों के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, ताकि बालक की सुरक्षा, देखरेख और उसके सर्वोत्तम हित का सुनिश्चय किया जा सके,
- (च) बालक द्वारा कार्यक्रम या समारोह से अर्जित आय के कम से कम बीस प्रतिशत को सीधे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बालकों के नाम से नियत जमा खाते में किया जाएगा जिसको बालक के वयस्क होने पर बालक को प्रत्यय किया जा सकेगा, और
- (छ) किसी बालक को उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध किसी श्रव्य-दृश्य और क्रीडा कार्यक्रमलाप, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक मनोरंजन कार्यक्रमलाप भी है, में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- (2) धारा-3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खण्ड ग के प्रयोजनों के लिए उसमें अंतर्विष्ट "अन्य ऐसा कार्यक्रमलाप" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा-
- (i) कोई कार्यक्रमलाप, जिसमें बालक किसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह या ऐसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह के लिए प्रशिक्षण में भाग ले रहा है;
 - (ii) दूरदर्शन पर सिनेमा और डाक्यूमेंटरी प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत रियल्टी शो, क्विज शो, टैलेंट शो, रेडियो या कार्यक्रम या कोई अन्य माध्यम है;
 - (iii) नाटक सीरियल,
 - (iv) किसी कार्यक्रम या समारोह में एंकर के रूप में भागीदारी; और
 - (v) कोई अन्य कलात्मक अभिनय, जिसे राज्य सरकार व्यष्टिक मामलों में अनुज्ञात करे, जिसके अंतर्गत धनीय फायदों के लिए स्ट्रीट प्रदर्शन सम्मिलित नहीं है।

5. मूल नियमों के नियम 16 के उपनियम (1) में बालकों शब्द को कुमारों शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
6. मूल नियम के नियम 16 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात-
- “ 16अ, बालक या कुमार को बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि से रकम या संदाय- (1) धारा 14 ख की उपधारा (1) उपधारा (2) द्वारा संचित राशि को उपधारा (3) के अधीन बालक और कुमार श्रम पुनर्वासनिधि में, यथास्थिति, प्रत्यय, जमा या विनिधान की गई निधि और उस पर उदभूत ब्याज का उस बालक या कुमार को निम्नलिखित रीति में संदाय किया जायेगा, जिसके पक्ष में ऐसे रकम का प्रत्यय किया गया है, अर्थात:-
- (i) अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक या नोडल अधिकारी अपने पर्यवेक्षण के अधीन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक या कुमार का एक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाए और, यथास्थिति, उस बैंक को, जिसमें निधि की रकम को जमा किया गया है या धारा 14 ख की उपधारा (3) के अधीन निधि में रकम को जमा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति;
 - (ii) बालक या कुमार के पक्ष में निधि में समानुपाती रकम पर उदभूत ब्याज को अर्द्ध वार्षिक रूप से यथास्थिति, बालक या कुमार के खाते में बैंक या रकम का विनिधान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निरीक्षक को सूचना के अधीन;
 - (iii) जब संबद्ध बालक या कुमार अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब यथा संभव शीघ्र तुरंत या तीन मास की अवधि के भीतर, बालक के पक्ष में उस पर उदभूत ब्याज, जिसमें बैंक में शेष ब्याज या धारा 14 ख की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रकार विनिधान किया गया शेष भी है, के साथ जमा की गई, निक्षेप की गई या विनिधान की गई कुल रकम, यथास्थिति, बालक या कुमार के उक्त बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी; और
 - (iv) निरीक्षक संबद्ध बालक या कुमार की विशिष्टियों, जो उसकी पहचान करने के लिए प्यार्प्त हैं, के साथ खण्ड (ii) और खण्ड (iii) के अधीन अन्तरित रकम की एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को वार्षिक रूप से रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ भेजेगा।
- (2) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए बालक या कुमार के पक्ष में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में जुर्माने के माध्यम से या अपराधों के शमन के लिए वसूल की गई कोई रकम भी निधि में जमा की जाएगी और ऐसे आदेश या निर्णय के अनुसार व्यय की जाएगी।
7. मूल नियमों के नियम 17 को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा:-
- (i) नियम 17 के उपनियम(1) में शब्द 'बालकों' को 'कुमारों' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 - (ii) नियम 17 के उपनियम (3) में शब्द 'बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 - (iii) नियम 17 के उपनियम (4) में शब्द 'बालकों' को 'कुमारों' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (v) नियम 17 के उपनियम (5) में शब्द 'बालक' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (vi) नियम 17 के उपनियम (6) में शब्द 'बालकों' को 'कुमारों' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (vii) नियम 17 के उपनियम (7) में शब्द 'बालकों' को 'कुमारों' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (viii) नियम 17 के उपनियम (8) में शब्द 'बालकों' को 'कुमारों' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ix) नियम 17 के उपनियम (9) में शब्द 'बालकों' को 'कुमारों' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (x) नियम 17 के उपनियम (10) में शब्द 'बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xi) नियम 17 के उपनियम (11) में शब्द 'बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xii) नियम 17 के उपनियम (12) में शब्द ' बालक को कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xiii) नियम 17 के उपनियम (13) में शब्दों 'बालकों एवं बाल' ' कुमारों एवं कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xiv) नियम 17 के उपनियम (14)में शब्द 'बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xv) नियम 17 के उपनियम (15) में शब्द 'बालकों' को 'कुमारों' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xvi) नियम 17 के उपनियम (16) में शब्दों 'बाल एवं बालक एवं बालकों' को 'कुमार' एवं कुमारों' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xvii) नियम 17 के उपनियम (17) में शब्द ' बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xviii) नियम 17 के उपनियम (18) में शब्द 'बालक एवं बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xix) नियम 17 के उपनियम (19) में शब्द 'बालक' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xx) नियम 17 के उपनियम (20) में शब्द ' बालक' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xxi) नियम 17 के उपनियम (22) में 'बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xxii) नियम 17 के उपनियम (23) के Clause/ खण्ड (क) एवं (ख) में शब्द 'बालक एवं बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xxiii) नियम 17 के उपनियम (24) में शब्दों 'बालकों एवं बाल' को 'कुमारों एवं कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. मूल नियमों के नियम-18 को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा :-

- (i) मूल नियम 18 के उपनियम (1) में शब्द 'बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) मूल नियम 18 के उपनियम (2) में शब्द 'बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) मूल नियम 18 के उपनियम (3) में शब्द 'बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- मूल नियम 18 के उपनियम (4) में शब्द 'बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) मूल नियम 18 के उपनियम (5) में शब्द 'बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) मूल नियम 18 के उपनियम (6) में शब्द 'बाल' को 'कुमार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. मूल नियमों के नियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“19 आयु का प्रमाणपत्र-(1) जहाँ निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी कुमार को किसी ऐसे व्यवसाय या प्रसस्करणों में नियोजित किया गया है जिनमें उसे अधिनियम की धारा-3 क के अधीन नियोजित किया जाना प्रतिषिद्ध है, वहाँ वह ऐसे कुमार के नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से प्रपत्र से प्रपत्र आ में आयु का प्रमाण पत्र निरीक्षक को प्रस्तुत करे।

(2)समुचित चिकित्सा प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन आयु का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कुमार की परीक्षा करते समय,-

- (i) कुमार का आधार कार्ड, और उसके अभाव में;
- (ii) विद्यालय से जारी जन्म की तारीख का प्रमाण पत्र या, कुमार के संबद्ध परीक्षा बोर्ड से जारी माइट्रेकुलेशन मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हों और उसके अभाव में;

- (iii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए कुमार का जन्म प्रमाणपत्र पर विचार करेगा;
- और खण्ड (i) से खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अभाव में ही, अस्थिविकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु अवधारित की जाएगी।
- (3) अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारणा परीक्षण श्रम अधीक्षक की पंक्ति के समुचित प्राधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के आदेश पर संचालित किया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा।
- (4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाणपत्र प्रारूप 'ख' में जारी किया जाएगा।
- (5) आयु प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वही होंगे जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके चिकित्सा बोर्डों के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएँ।
- (6) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार उस कुमार के नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जाती है।

स्पष्टीकरण:-इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

- (i) "चिकित्सा प्राधिकारी" से ऐसा कोई सरकारी चिकित्सक, जो किसी जिले के सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से अन्यून हो या कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय या अस्पतालों में नियोजित समतुल्य पंक्ति का नियमित चिकित्सक अभिप्रेत है।
- (ii) "कुमार" से अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (i) में यथा परिभाषित कुमार अभिप्रेत है।

10. मूल नियम के नियम 19 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

19 क. व्यक्ति, जो परिवाद दायर कर सकेंगे- ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के किए जाने के लिए अधिनियम के अधीन परिवाद दायर कर सकेगा, में स्कूल प्रबंधन समिति, बालक संरक्षण समिति, पंचायत या नगरपालिका से स्कूल अध्यापक और प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, जो उस दशा में परिवाद दायर करने के लिए संवेदनशील होंगे कि उनके अपने-अपने स्कूलों के छात्रों में से कोई छात्र इस अधिनियम के इन उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किया जाता है।

19 ख. अपराधों का शमन करने की रीति-(1) कोई अभियुक्त व्यक्ति,-

- (i) जो धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन पहली बार कोई अपराध करता है, या
- (ii) जो माता-पिता या संरक्षक होते हुए, उक्त धारा के अधीन अपराध करता है,

धारा-14 घ की उप-धारा(1) के अधीन अपराध का शमन करने की अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उप-नियम (1) के अधीन दायर किए गए आवेदन पर अभियुक्त व्यक्ति और संबद्ध निरीक्षक को सुनने के पश्चात, आवेदन का निपटान करेगा और यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो निम्नलिखित के अधीन रहते हुए शमन करने का प्रमाण पत्र जारी करेगा-

- (i) ऐसे प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का संदाय या

(ii) खण्ड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट शमनकारी रकम के साथ-एसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने का पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का संदाय, यदि अभियुक्त उक्त खण्ड के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है और ऐसा विलंबित संदाय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथाविनिर्दिष्ट की जाने वाली और अवधि, जो उस खण्ड में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी, के भीतर किया जाएगा।

(3) शमनकारी रकम अभियुक्त व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी।

(4) यदि अभियुक्त व्यक्ति उप-नियम(2) के अधीन शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो कार्यवाही धारा 14 घ की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जारी रहेगी।

19ग. जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य-(1) जिला मजिस्ट्रेट-

(i) नोडल अधिकारियों के रूप में ज्ञात होने वाले उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को, जो वह आवश्यक समझे, विनिर्दिष्ट करेगा, जो धारा-17 क के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसको प्रदत्त और अधिरोपित जिला मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(ii) नोडल अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी के रूप में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों, जो वह समुचित समझे, को वह समनुदेशित करेगा।

(iii) निम्नलिखित से मिलकर बनी जिले में बनाई जाने वाले कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा,-

(क) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए धारा- 17 के अधीन नियुक्त निरीक्षक;

(ख) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधीक्षक;

(ग) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट;

(घ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए खण्ड (1) के अधीन निर्दिष्ट नोडल अधिकारी,

(ङ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए श्रम अधीक्षक;

(च) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी आधार पर जिले में नियोजित बालकों के बचाव और पुनर्वास में अन्तर्वर्तित प्रत्येक स्वच्छिक स्वैच्छिक संगठन से दो-दो प्रतिनिधि;

(छ) जिला न्यायधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि; और

(ज) जिला दुर्व्यार्ष निवारण यूनिट का सदस्य;

(झ) जिले की बालक कल्याण समिति का अध्यक्ष;

(ञ) महिला और बाल विकास से संबन्धित भारत सरकार के मंत्रालय की एकीकृत बालक संरक्षण स्कीम के अधीन जिला बाल श्रम संरक्षण अधिकारी;

(ट) जिला शिक्षा अधिकारी;

(ठ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य व्यक्ति,

- (ड) कार्य बल का सचिव खण्ड (i) में निर्दिष्ट कोई नोडल अधिकारी होगा और अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;
- (2) उप-धारा (1) के खण्ड (iii) में निर्दिष्ट कार्यबल प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा और उपलब्ध समय, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार छापाकारी का बिन्दु, योजना की गोपनीयता, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पीड़ितों और साक्षियों का संरक्षण तथा अंतरिम अनुतोष को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कारवाई योजना बनाएगा और कार्य बल राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए सृजित पोर्टल पर ऐसी बैठक के कार्यवृत्त को भी अपलोड कराएगा।
- (3) उप-धारा-(1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित करेगा की बालक और कुमार, जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किए जाते हैं बचाए जाते हैं तथा उन्हें (क) निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार पुनर्वासित किया जाएगा-
- (i) किशोर न्याय(बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा तद्वनि बनाए गए नियम,
 - (ii) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19),
 - (iii) केंद्रीय बंधित श्रमिक पुनर्वास सेक्टर स्कीम, 2016.
 - (iv) कोई राष्ट्रीय बालक श्रम परियोजना,
 - (v) तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि स्कीम, जिसके अधीन ऐसे बालकों या कुमारों को पुनर्वासित किया जाए; और निम्नलिखित के अध्याधीन-
- (I) सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निदेश, यदि कोई हो,
 - (II) इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।
- 19घ, निरीक्षकों के कर्तव्य-धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए,
- (i) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निरीक्षण के सनियमों का अनुपालन करेगा,
 - (ii) इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करेगा, और
 - (iii) इस अधिनियम के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए निरीक्षण तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा की गई कारवाई के बारे में राज्य सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट करेगा।
- 19 इ आवधिक निरीक्षण और मॉनीटर करना- राज्य सरकार धारा-17 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए मॉनीटर करने तथा निरीक्षण की प्रणाली सृजित करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे-
- (i) उन स्थानों का निरीक्षक द्वारा संचालन किए जाने वाले आवधिक निरीक्षण की संख्या, जिन पर बालकों के नियोजन प्रतिषिद्ध हैं और परिसंकटमय व्यवसायों या प्रसंस्करण किए जाते हैं;

- (ii) ऐसे अंतरालों, जिन पर निरीक्षक राज्य सरकार को खण्ड (i) अधीन निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबन्धित उसको प्राप्त हुई शिकायतों तथा तत्पश्चात उसके द्वारा की गई कारवाई के ब्योरों के रिपोर्ट करेगा;
- (iii) निम्नलिखित का ईलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा अभिलेख का रखा जाना-
 - (क) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कार्य करते हुए पाए गए बालक और कुमार, जिसमें ऐसे बालक भी हैं जो इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कुटुंब या कुटुम्ब ऊधमों पर लगे पाये जाते हैं,
 - (ख) शमन किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे,
 - (ग) अधिरोपित और वसूल की गई शमनकारी रकम के ब्यौरे, और
 - (घ) अधिनियमों के अधीन बालकों और किशोरों को प्रदान की गई पुनर्वास सेवाओं के ब्यौरे।

11. मूल नियम से संलग्न प्रारूप अ के स्तंभ 2 के शीर्ष में “बालक का नाम” शब्दों के स्थान पर “कुमार का नाम” शब्द रखे जाएंगे।
12. प्रारूप- आ में शब्द चौदह वर्ष को अठारह वर्ष से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
13. मूल नियम से संलग्न प्रारूप आ के पश्चात, प्रारूप इ अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

[देखें नियम 16 (1)]

प्रपत्र 'अ'

वर्ष.....

नियोजक का नाम और पता.....

कार्य-स्थल.....प्रतिष्ठान द्वारा किये जानेवाले

कार्य की प्रकृति.....

क्र०सं०	कुमार का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	प्रतिष्ठान में योगदान की तारीख	जिस कार्य में नियोजित है उसकी प्रकृति।	कार्य के दैनिक घंटे।	विश्राम-अंतराल	भुगतान की गयी मजदूरी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र 'आ'

उम्र प्रमाण-पत्र

[देखें नियम 19 (1)]

प्रमाण-पत्र संख्या.....

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ की मैंने नाम.....

पुत्र/पुत्री.....आवास.....

का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया है और उसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है और मेरे परीक्षण जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सकता है, उसकी आयु लगभग

वर्ष (पूरा) है। उसका पहचान- चिन्ह है।

बालक के अँगूठे का निशान/हस्ताक्षर.....

स्थान-

तारीख-

चिकित्सा प्राधिकारी,

पदनाम।

“प्रपत्र इ”

[नियम 2 (ग) (1) (ख) देखें]

बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 के नियम 2 इ(1) (ख) के अधीन बचनबंध में..... वाणिज्यिक आयोजन.....का श्रव्य दृश्य मीडिया प्रस्तुतीकरण या आयोजक..... का उत्पादक हूँ जिसमें निम्नलिखित बालक भाग ले रहे हैं, अर्थात:-

क्र० सं०	बालकों/बालकों का नाम	माता-पिता/संरक्षक का नाम	पता
----------	----------------------	--------------------------	-----

यह वचन देता हूँ कि.....आयोजन (आयोजन को विनिर्देशित कर) में ऊपर उल्लिखित बालकों के शामिल होने के दौरान, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, १९८६ का 61) और बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं होगा और बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि उसे/ उन्हें कोई असुविधा न हो। मैं यह भी वचन देता हूँ कि आयोजन के दौरान बालकों के संरक्षण, जिसके अंतर्गत उनके शिक्षा के अधिकार, देखभाल और संरक्षण, लैंगिक अपराधों के विरुद्ध विधिक उपबंध भी है, के लिए तत्समय प्रवृत्त लागू सभी विधियों का अनुपालन किया जाएगा।

तारीख.....

नाम और हस्ताक्षर।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,
